न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

श्री नरसीराम पुत्र मगनाराम जी, जाति- राजगर ब्राह्मण, निवासी- जेतावाडा, तह. रेवदर, जिला- सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार, मण्डार, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 53/2020

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, अपीलार्थीगण की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 25 मार्च, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील उप तहसीलदार, मण्डार द्वारा प्रकरण संख्या 15/2020 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 21.10.2020 बाबत ग्राम जैतावाडा के खसरा संख्या 390, 332 कुल रकबा 23.05 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता व नदी में से रकबा 3.01 बीघा भूमि का अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने, जुर्माना आरोपित करने व फसल कुर्क कर नीलाम करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी मानने के संबंध में कोई कारण का उल्लेख नही किया है, जबकि ये स्पष्ट है कि न्यायालय को किसी नतीजे पर पँहुचने से पूर्व उस नतीजें के कारणों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। राजस्व ग्राम जेतावाडा में अपीलार्थी के कृषि भूमि खसरा संख्या 330, 331 व 351 से 361 में आई हुई है। ये सभी खसरा उक्त पटवारी हल्का के द्वारा वर्णित नदी व रास्ते के खसरा से लगते हुए है। हल्का पटवारी, जेतावाडा के इन दोनों खसरा नम्बरों पर वर्तमान में कई व्यक्तियों के अतिक्रमण है। इस अतिक्रमण के संबंध में अपीलार्थी एवं इनके भाई शांतिलाल द्वारा दिनांक 10.9.2020 को प्रार्थना पत्र तहसीलदार, रेवदर के समक्ष प्रस्तुत कर सम्पूर्ण खसरों को अतिक्रमण से मुक्त करने का अनुरोध किया था

.....पेज 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:13:10 IST
Reason: SelfAttested

... कलक्टर
सिरोही (राज.)

जिस पर तहसीलदार, रेवदर ने उप तहसीलदार, मण्डार को अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किया था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, मण्डार ने अतिक्रमी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के बजाय अतिक्रमण की शिकायत करने वाले व्यक्ति अर्थात् अपीलार्थी के विरुद्ध ही कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो किसी भी रुप में विधि सम्मत नही है। हल्का पटवारी, जैतावाडा को उसके हल्के के खसरा संख्या 390 व 332 के प्रत्येक इंच पर किये गये अतिक्रमण एवं अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों की पूर्ण जानकारी है उसके बावजूद उन अतिक्रमियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही कर स्थानीय राजनीती से प्रेरित होकर अपीलार्थी के विरुद्ध ही प्रकरण दर्ज करवाना हल्का पटवारी, जेतावाडा द्वारा पदीय कर्तव्यों के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। यह कि हल्का पटवारी, जेतावाडा द्वारा विवादित खसरा संख्या का मौका निरीक्षण कब किया गया। इस संबंध में कोई भी सूचना अपीलार्थी को प्रदान नही की है, इसलिये पटवारी हल्का द्वारा अपनी मनमर्जी से दूसरे लोगों के बहकावे में आकर अपीलार्थी के हक अधिकार की भूमि में खडी फसल को अन्य खसरा में होना मानकर तैयार की गई मौका रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलार्थी के विरुद्ध कार्यवाही करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है, इसलिये अपीलार्थी का अतिक्रमण हटाने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, मण्डार व हल्का पटवारी, जेतावाडा को अन्य अतिक्रमियों के विरुद्ध भी धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, जेतावाडा द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध विवादित भूमि पर अतिक्रमण करने संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर विधिवत नोटिस जारी किया गया एवं अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए बाद जांच विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, जैतावाडा द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2077 में ग्राम जैतावाडा के खसरा संख्या 390 रकबा कुल रकबा 01.13 बीघा किस्म रास्ता में से 0.01 बीघा एवं खसरा संख्या 332 रकबा 21.08 बीघा किस्म नदी में से रकबा 3.00 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा तारबंदी व काश्त करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी की ओर से उसके अधिवक्ता उपस्थित हुये व जवाब प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने ग्राम जैतावाडा के खसरा संख्या 390 रकबा 0.01 बीघा किस्म रास्ता राजकीय बिलानाम भूमि एवं खसरा संख्या 332 रकबा 3.00 बीघा किस्म नदी राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण किया है, जिस [illegible] में अधीनस्थ न्यायालय ने बाद जांच विधि अनुरुप निर्णय पारित किया है [illegible], अपीलार्थी अपील खारिज किये जाने योग्य है।

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:13:10 IST
Reason: SelfAttested

अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। साथ ही, अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार,. मण्डार को निर्देश दिये जाते है कि संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक व हल्का पटवारी, जैतावाडा से ग्राम जैतावाडा, पटवार हल्का जैतावाडा के खसरा संख्या 390 व 332 के मौके की रेकर्ड अनुसार जांच करवाये एवं यदि ग्राम जैतावाडा के खसरा संख्या 390 व 332 की किस्म क्रमश: रास्ताव व नदी राजकीय बिलानाम भूमि पर अन्य व्यक्तियों के भी अतिक्रमण पाये जाते है तो उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जावे। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खोड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:13:10 IST
Reason: SelfAttested